



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1557 वर्ष 2026

आशीष कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.... उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	आशीष मिश्रा, सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव और राज्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय तथा उच्च न्यायालय/जिला न्यायाधीश के अधिवक्ता श्री आशीष मिश्रा की दलीलें सुनीं।

2. याचिकाकर्ता ने इससे पहले रिट-ए संख्या 10650/2014 (दिनेश शर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसका निर्णय 30.10.2025 को हुआ था, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:

"1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के अधिवक्ता श्री आशीष मिश्रा और चौथे प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री तरुण अग्रवाल की ओर से उपस्थित श्री इमरान सईद की दलीलें सुनीं।"

2. दोनों पक्षों के वकीलों ने संयुक्त रूप से बयान दिया है कि वे आगे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जा रहा है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिसंबर 2002 में तृतीय श्रेणी के पद पर भर्ती के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जुलाई 2003 में 19 उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची प्रकाशित की गई, जिनमें से 10 उम्मीदवार सामान्य वर्ग के, 5 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग के और 4 उम्मीदवार अनुसूचित जाति वर्ग के थे। याचिकाकर्ता का दावा है कि अनुसूचित जाति के 4 उम्मीदवारों में से केवल दो ने ही कार्यभार ग्रहण किया और चयनित उम्मीदवार अनुज कुमार राम और अभिनंदन कुमार ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, इसलिए मेरिट सूची में अगले स्थान पर रहे अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों, श्री अनिल प्रताप और श्री अशोक कुमार भारतीय को रिक्त पद पर नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि वे सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में क्रमांक 17 और 15 पर थे, फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई क्योंकि मेरिट सूची के अनुसार सामान्य वर्ग में केवल 10 उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी गई थी। याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि चौथे प्रतिवादी, श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, जो क्रमांक 15 पर थे, को नियुक्ति नहीं दी गई। मेरिट सूची में 19वें स्थान पर रहे और सामान्य श्रेणी से संबंधित होने के कारण उन्हें क्लर्क के पद पर नियुक्ति दी गई। याचिकाकर्ता ने चयन न होने से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:

"i) याचिकाकर्ताओं का चयन सिविल न्यायालय के अधिकारियों द्वारा उस चयन सूची के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश की प्रकृति का एक रिट या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को शामिल किया गया था;

ii) न्याय के हित में, याचिकाकर्ताओं के दावे के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 के दावे पर विचार करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट या निर्देश जारी किया जाए;

iii) इस माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करना; iv) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में याचिका की लागत का भुगतान करवाना।

4. नोटिस जारी होने के बाद, जिला न्यायाधीश और प्रतिवादी संख्या 4 के वकील द्वारा जवाब दाखिल किया गया और उसके बाद एक संशोधन आवेदन दायर किया गया जिसे स्वीकार कर लिया गया, जिसमें निम्नलिखित संशोधन की मांग की गई थी:

"i) इस रिट याचिका के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 3 (जिला न्यायाधीश, चंदौली) के कार्यालय द्वारा दिनांक 26.11.2013 को पारित और जारी किए गए दिनांक 29.10.2013 के नियुक्ति

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश की प्रकृति का रिट, आदेश और निर्देश जारी किया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय हानि और क्षति होगी।"

(ii) याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करने और काल्पनिक पदोन्नति, वेतन पर विचार करने तथा अन्य सहकर्मियों को प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय द्वारा आज तक दिए गए वरिष्ठता और अन्य लाभों के समान लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिवादी संख्या 3 (जिला न्यायाधीश, चंदौली) को परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, अन्यथा याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय हानि और क्षति होगी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि चौथे प्रतिवादी का चयन और नियुक्ति विधिवत नहीं है, विशेषकर तब जब योग्यता सूची में उनका स्थान याचिकाकर्ता से नीचे था। इसलिए, याचिकाकर्ता को उनकी योग्यता को देखते हुए प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। आगे यह भी कहा गया है कि चौथे प्रतिवादी को रास्ता देने के लिए, उन्हें क्लर्क के पद पर समायोजित किया गया और 01.08.2003 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्ति दी गई, और उसके बाद 29.10.2013 के आदेश के अनुसार उन्हें नियमित श्रेणी में समायोजित किया गया। उनका कहना है कि जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता था, उसे अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता के दावे को नजरअंदाज किया गया है और केवल योग्यता सूची में निचले स्थान पर मौजूद व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए यह पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। आगे यह भी कहा गया है कि कई पद रिक्त हैं जिन पर याचिकाकर्ता को भी समायोजित किया जा सकता है।

6. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के वकील श्री आशीष मिश्रा और चौथे प्रतिवादी श्री तरुण अग्रवाल की ओर से पेश हुए श्री इमरान सईद ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी तर्क का कोई आधार नहीं है, क्योंकि चौथे प्रतिवादी की नियुक्ति वर्ष 2002 के नियमित नियुक्ति के विज्ञापन के अनुसार जुलाई 2003 की चयन सूची के तहत नहीं की गई थी। हालांकि, फास्ट ट्रैक कोर्ट के श्रेणी-III कर्मचारी की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ और चौथे प्रतिवादी का चयन हुआ तथा उन्हें 01.08.2003 को नियुक्ति दी गई। प्रतिवादी संख्या 4 को समायोजित करने और उन्हें स्थायी पद पर बनाए रखने के उद्देश्य से दायर मुकदमे के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के बाद, उन्हें 29.10.2013 को नियमित पद पर नियुक्त किया गया। उनका कहना है कि सबसे पहले तो याचिकाकर्ता को चौथे प्रतिवादी की नियुक्ति को रद्द करने पर जोर देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, विशेष रूप से इस आधार पर कि वह याचिकाकर्ता की तुलना में रैंक सूची में निचले स्थान पर था।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।
8. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि चंदौली जिला न्यायाधीश कार्यालय में क्लर्क की भर्ती के लिए दिसंबर 2002 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और योग्यता सूची जुलाई 2003 में प्रकाशित हुई थी। इस योग्यता सूची में 19 उम्मीदवार थे, जिनमें से 10 सामान्य वर्ग के, पांच ओबीसी और चार अनुसूचित जाति के थे। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग की योग्यता सूची में क्रमशः 17वें और 15वें क्रम पर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की भर्ती के लिए भी वर्ष 2003 में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। इसके परिणामस्वरूप चौथे प्रतिवादी का चयन हुआ और नियुक्ति आदेश 01.08.2003 को जारी किया गया। दिनांक 29.10.2013 के आदेश के अनुसार, फास्ट ट्रैक कोर्ट के कर्मचारी के पद को समाप्त किए जाने के बाद चौथे प्रतिवादी को नियमित श्रेणी में समायोजित किया गया।
9. महत्वपूर्ण बात यह है कि रिट याचिका 05.02.2014 को प्रस्तुत की गई थी और यह रख अपनाया गया था कि चौथे प्रतिवादी का चयन और नियुक्ति 2002 के विज्ञापन की जुलाई 2003 की योग्यता सूची के आधार पर की गई थी। हालांकि, जब प्रतिवादियों ने अपने-अपने प्रति-हलफनामों में यह रख अपनाया कि चौथे प्रतिवादी का चयन और नियुक्ति फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्लर्क की नियुक्ति के लिए वर्ष 2003 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर की गई थी, तब चौथे प्रतिवादी की नियुक्ति की तारीख से 20 वर्ष से अधिक और रिट याचिका और संशोधन आवेदन दाखिल करने की तारीख से 9 वर्ष बाद 11.12.2023 को संबंधित जिला न्यायाधीश के फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्लर्क के पद पर चौथे प्रतिवादी के चयन और नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।
10. मेरी राय में, इस स्तर पर न्यायालय को चौथे प्रतिवादी की नियुक्ति की वैधता और औचित्य की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर तब जब बहुत समय बीत चुका है और 29.10.2013 के आदेश के अनुसार चौथे प्रतिवादी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से नियमित जिला न्यायाधीश के पद पर समायोजित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के पास यह दावा करने का हमेशा से अधिकार था कि उसने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के चयन में भाग लिया था और उसके साथ भेदभाव किया गया था तथा उसे विधिवत न्याय नहीं दिया गया था। हालांकि, ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, चयन सूची की वैधता केवल एक वर्ष की होती है और यह कोई स्थायी स्रोत नहीं है। अतः, इस स्तर पर न्यायालय को उन चयनों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है जो अंतिम रूप ले चुके हैं।
11. अतः, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

12. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदन किया है कि कई पद रिक्त हैं जिन पर याचिकाकर्ता को नियुक्त किया जा सकता है। न्यायालय की राय में, एक बार चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने पर, यदि याचिकाकर्ता पात्रता और योग्यता रखता है और कानून के दायरे में आता है, तो न्यायालय के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. एक अंतर-अदालती अपील दायर की गई, जिसका विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 1121/2025 (आशीष कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) था, जिसका निर्णय 21.01.2026 को किया गया, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

"1. प्रारंभ में, मूल याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के विद्वान वकील डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अपीलकर्ता को दिनांक 04.12.2025 के बाद के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ इस अंतर-अदालती अपील को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

2. उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष मिश्रा और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

3. इसलिए, यह अपील वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है और अनुरोध के अनुसार स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

4. वर्तमान रिट याचिका में जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.12.2025 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने के दावे का अस्वीकार कर दिया गया है।

5. न्यायालय की राय में, रिट याचिका संख्या 10650/2014 (दिनेश शर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) में निजी प्रतिवादियों की नियुक्ति को चुनौती दिए जाने के बाद, यदि याचिका खारिज हो जाती है और याचिकाकर्ता को नए सिरे से आयोजित होने वाली चयन प्रक्रिया में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है, तो तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की राहत स्वीकार नहीं की जा सकती, विशेष रूप से तब जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के सिद्धांत इस संबंध में भूमिका निभाते हैं।

6. दिनांक 04.12.2025 के आदेश में किसी प्रकार की वैधता की कमी नहीं पाई जा सकती, इसलिए रिट याचिका खारिज की जाती है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"